संख्याः 181 XII/2009/83(01)/2008–TC-II

प्रेषक,

डा0 पी0 एस0 गुसाईं
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रा0 अभि0 सेवा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक, 06 जुलाई, 2009।

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अबचनबद्ध मदों की धनराशि अवमुक्त करने विषयक।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 205/XXVII (1)/ 2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या 157/ग्रा0अ0सेवा/लेखा–दो–01/30–बजट/2009–10 दिनांक 20 मई 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अबचनबद्ध मानक मदों में रू0 33 हजार की धनराशि के व्यय हेतु श्री राज्यपाल निम्नशर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्रमांक	मानक मद	धनराशि (हजार रूपये में)
1	16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	33
	योग–03	33

(रू0 33000.00 रू0 तैन्तीस हजार मात्र)

2. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 66(NP)/XXVII(1)/2009 दिनांक 19 जून, 2009 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी के अन्तर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(डा0 पी0एस0 गुसाईं)
अपर सचिव।

संख्याः /81 (1)/XII/2009/83(01)/2008–TC-II तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आर0 पी0 फुलोरिया)
संयुक्त सचिव।